

कार्यालय जिला ग्राम्य विकास अभिकरण पिथौरागढ़।

पत्रांक १६१ / लेखा-3 / मु0पला0रो0यो0 / 2024-25

दिनांक 21 मार्च, 2025

मुख्य पशु चिकित्साधिकारी,  
पिथौरागढ़।


मुख्यमंत्री पलायन रोकथाम योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2024-25 चयनित वि0ख0 बेरीनाग हेतु **Stand alone** में स्वीकृत योजनाओं के अन्तर्गत जनपद स्तरीय समिति से अनुमोदित/स्वीकृति के उपरान्त इस योजनान्तर्गत उपलब्ध कराये गये बैंक खाता सं0 50100355545522 में रू0 22.68 लाख (बाईस लाख अड़सठ हजार रूपये मात्र) निम्न कार्यो हेतु आरटीजीएस/चैक के माध्यम से धनराशि अवमुक्त की जा चुकी है।

क्र. सं.	कार्यदायी संस्था का नाम	कलस्टर का नाम	गांव का नाम	कार्य का नाम	कुल स्वीकृत धन0लाख में	एम.पी.आर. वार्ड के अन्तर्गत स्वीकृत धन0 लाख में	कन्वर्जेन्स के अन्तर्गत स्वीकृत धन0 लाख में	अवमुक्त हेतु प्रस्तावित धनराशि लाख में
1	पशुपालन विभाग	हतवालगांव	बड़ेतबाफिला	बकरी पालन योजना	11.34	11.34	-	11.34
2	पशुपालन विभाग	हतवालगांव	बड़ेतचौनाला	बकरी पालन योजना	11.34	11.34	-	11.34
	योग	2			22.68	22.68	-	22.68

अतः मुख्यमंत्री पलायन रोकथाम योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2024-25 की कार्ययोजना के अनुसार उक्त धनराशि को निम्न शर्तों / प्रतिबन्धों के अधीन व्यय करना सुनिश्चित करें।


1. इस योजना के तहत ऐसे कार्य जो अधिप्राप्ति नियमावली से आच्छादित होते हैं, उन पर राज्य की अधिप्राप्ति नियमावली लागू होगी।
2. इस योजना के तहत मासिक आधार पर वित्तीय एवं भौतिक आख्या संबंधित कार्यदायी संस्थाओं द्वारा जनपद को उपलब्ध कराई जायेगी।
3. व्यक्तिगत रूप से लाभान्वित होने वाले परिवारों/लाभार्थियों का विवरण भी उपलब्ध कराया जायेगा
4. स्वरोजगार हेतु प्रशिक्षण के इन चिन्हित गांवों के समस्त युवक-युवतियों का कौशल पंजी एप में पंजीकरण कराया जाना अनिवार्य होगा।
5. प्रत्येक कार्यदायी संस्था इस योजना के तहत किये गये कार्यो की सफलता की कहानियों/अभिनव प्रयास से संबंधित संक्षिप्त नोट तथा फोटोग्राफ जनपद को समय-समय पर प्रेशित किया जायेगा।
6. योजना क्रियान्वयन को इसी वर्ष माह मार्च, 2025 तक पूर्ण किया जायेगा।
7. स्वीकृत कार्यो पर होने वाले व्यय को वित्तीय हस्त पुस्तिका, बजट मैनुअल, जैम पोर्टल, उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति/ प्रिक्योमेन्ट रूल 2017 यथा संशोधित तथा शासनादेश का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।
8. योजनान्तर्गत अवमुक्त की जा रही धनराशि का व्यय अनुमोदित कार्ययोजना के अनुसार किया जाना सुनिश्चित किया जाय।
9. प्रत्येक कार्य के आंगणन / लागत पर कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व सक्षम स्तर का अनुमोदन अवश्य प्राप्त कर लिया जाय। तकनीकी अनुमोदन सक्षम स्तर से एवं आगणन की एक प्रति अनिवार्य रूप से डी0आर0डी0ए0 कार्यालय को प्रस्तुत की जाय। इसके साथ ही कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व का फोटोग्राफ जो कि जी0पी0एस0 युक्त हो, भी उपलब्ध कराया जाय।
10. योजना के अन्तर्गत अवमुक्त की जा रही धनराशि का आहरण स्वीकृत परिव्यय की सीमा तक ही किया जाय। धनराशि का दोहरा आहरण होने की स्थिति में संबंधित आहरण - वितरण अधिकारी पूर्ण उत्तरदायी होंगे।

11. उक्त धनराशि को आवंटित एवं व्यय करते समय योजना के संबंध में राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी दिशा निर्देशों, मितव्ययता संबंधी आदेशों के अनुसार किया जाय एवं कार्यों की प्रगति का समय-समय पर समीक्षा / सत्यापन / मूल्यांकन / अनुश्रवण किया जाय।
12. प्रश्नगत धनराशि उन्हीं कार्यों / प्रयोजनों पर ही व्यय की जायेगी जिनके लिए स्वीकृति की जा रही है। किसी भी स्थिति में इस धनराशि का व्ययवर्तन नहीं किया जाय।
13. निर्माण की गुणवत्ता के लिए संबंधित कार्यदायी संस्था पूर्ण रूप से उत्तरदायी रहेगी।
14. कार्य पूर्ण होने के उपरान्त उपयोगिता प्रमाण पत्र के साथ-साथ कार्य पूर्ण के उपरान्त का जी०पी०एस० युक्त फोटोग्राफ (जिसमें कार्य का नाम, निर्माण वर्ष, कार्य की लागत एवं मद् अंकित हो का फोटोग्राफ) उपलब्ध कराना आवश्यक होगा।
15. प्रत्येक कार्य के विल, वाउचर एवं अभिलेख कार्यदायी संस्था अपने स्तर पर आडिट इत्यादि कार्य हेतु सुरक्षित रखने के लिए पूर्ण रूप से उत्तरदायी होगी।
- 16- केन्द्र पोषित/राज्य पोषित/वाह्य सहायतित आदि योजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यों के साथ कन्वर्जेंस के रूप में बैंक लोन,लाभार्थी अंशदान,अनुदान आदि की धनराशि किसी भी दशा में इस योजना से नहीं लिया जायेगा।

  
 परियोजना निदेशक,  
 जिला ग्राम्य विकास अभिकरण,  
 पिथौरागढ़।

प्रतिलिपि—(1) मुख्य विकास अधिकारी, महोदया को सूचनार्थ।  
 (2) जिलाधिकारी, महोदय के अवलोकनार्थ।

o/c

  
 परियोजना निदेशक,  
 जिला ग्राम्य विकास अभिकरण,  
 पिथौरागढ़।